"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च 2006—चैत्र 7, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक 216/राविसेप्रा/स्था./06.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 11 (क) की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी अन्य अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कालम नं. 2 में दर्शाये गये समाविष्ट क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित तालुक विधिक सेवा समितियों का तत्काल प्रभाव से गठन करता है.

क्रमांक	तालुक विधिक सेवा समिति का नाम	वास्ते राजस्व जिले	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 अ की उपधारा (2) के खण्ड अ में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार तालुक विधिक सेवा समिति का पदेन अध्यक्ष	तालुक विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भाटापारा	रायपुर	वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी	1. उप जिलाधीश 2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी 3. अध्यक्ष, स्थानीय जिला अधिवक्ता संघ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	कुरूद	धमतरी	वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी	1. उप जिलाधीश 2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी 3. अध्यक्ष, स्थानीय जिला अधिवक्ता संघ
3.	पत्थलगांव	जशपुरनगर	वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी	1. उप जिलाधीश 2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी 3. अध्यक्ष, स्थानीय जिला अधिवक्ता संघ

Bilaspur, the 14th February 2006

NOTIFICATION

L. No. 215/SLSA/PL/06.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 11(a) of the Legal Services Authorities Act, 1987 and in supersession to any notification issued in this behalf. Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur constitutes following New Taluk Legal Services Committee for area comprising of as shown in column No. 3 with immediate effect.

S. No.	Name of Taluk Legal Services Committee	For the revenue District	Ex-officio Chairman of Legal Services Committee as per provision contained clause A of sub-section 2 of section 11A Legal Services Authorities Act	Ex-officio Members of Legal Services Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bhatapara	Raipur	Senior most Judicial officer	1. Sub Collector 2. S.D.O. Police 3. President, Local Bar Association.
2.	Kurud	Dhamtari	Senior most Judicial officer	1. Sub Collector 2. S.D.O. Police 3. President. Local Bar Association.
3.	Patthalgaon	Jashpur nagar	Senior most Judicial officer	1. Sub Collector 2. S.D.O. Police 3. President. Local Bar Association.

छ. ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार,
गौतम चौरडिया, सदस्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.